



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

चौमू हाऊस, सी-स्कीम, जयपुर: 302 001, फोन: 0141 - 2376760 / 2365947, फैक्स: 0141-2363910

नीलामी सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड., चित्तौड़गढ़ के अधीन विधायन केंद्र, भोतरा वेयर हाऊस, औद्योगिक क्षेत्र, राणीखेरा रोड, निम्बाहेड़ा में निम्नलिखित मशीनों नीलामी हेतु उपलब्ध है।

<u>विवरण</u>	<u>नग</u>	<u>नीलामी दिनांक व समय</u>
(a) क्लीनर-कम-ग्रेडर, 2 टी.पी.एच	01	15.10.13, अपरान्ह: 3बजे
(b) ग्रेविटी सेपरेटर, 2 टी.पी.एच	01	-वही-
(c) वी.बी.एलिवेटर, 2 टी.पी.एच	01	-वही-

इच्छुक पार्टियाँ किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5.30 तक क्षेत्र प्रबन्धक, एन.एस.सी, चित्तौड़गढ़ से संपर्क कर निम्बाहेड़ा में उपलब्ध मशीन देखकर उपरोक्त दिनांक व समय में नीलामी में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। नीलामी से पूर्व इच्छुक पार्टियों को नीलामी के लिये धरोहर राशि रु. 10,000.00 जमा करवानी होगी, जो कि बाद में चैक द्वारा वापिस कर दी जावेगी। नीलामी निम्बाहेड़ा में ही की जायेगी। नीलामी के नियम व शर्तें हमारे क्षेत्र कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त की जा सकती हैं।

नीलामी स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

क्षेत्र कार्यालय का पता:

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड., सहनवा रोड, चित्तौड़गढ़: 312001, फोन: 01472-235035, मो: 9928006542

क्षेत्रीय प्रबन्धक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रक्षेत्र कार्यालय : चित्तौड़गढ़

नीलामी की नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. मशीन को किसी भी कार्य दिवसो मे कार्यलीन समय 10 बजे से सायं 5.30 तक निम्बाहेड़ा विधायन केंद्र, भोतरा वेयर हाऊस, औद्योगिक क्षेत्र, राणीखेरा रोड, निम्बाहेड़ा में देखा जा सकता है
2. नीलामी मे भाग लेने के लिये नीलामी से पूर्व रु. 10000.00 (दस हजार मात्र) की धरोहर राशि कार्यालय में कैश या ड्राफ्ट के रूप मे जमा कराना अनिवार्य है । बिना धरोहर राशि जमा कराये ब्यक्ति को नीलामी मे शामिल नहीं किया जावेगा ।
3. सफलतम बोली दाता को मशीन को उखाड़ने के उपरांत विधायन केंद्र की मरम्मत करवानी होगी ।
4. निरस्त मशीन जहाँ है जैसे है उन्हे उसी अवस्था मे दी जावेगी ।
5. सफलतम बोली दाता को बोली राशि का 25% तुरन्त व शेष राशि मशीन को उठाने से पहले जमा करानी होगी । असफल बोली दाताओं की धरोहर राशि चेक द्वारा वापिस की जावेगी ।
6. सफलतम बोली कर्ता को बोली लगाई गयी राशि जमा कराकर निरस्त सामान को एक सप्ताह के अन्दर परिसर से उठाना होगा, अन्यथा रु.500.00 पेनल्टी चार्ज प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा ।
7. नीलामी स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित है ।
8. सफलतम बोली कर्ता को लगाई गयी बोली की राशि के अतिरिक्त नियमानुसार देय करो का भुगतान भी करना होगा ।

क्षेत्र प्रबन्धक

चित्तौड़गढ़